

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pcef-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-२२/२०१९-००९ दिनांक : २३/१०/१९

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/हजारीबाग पश्चिमी वनप्रमण्डल, हजारीबाग/मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर/लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्वरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु रु० 358.910 (तीन करोड़ अन्तावन लाख एकानबे हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-२९/२०१९-४१/स्वी० व०प० दिनांक 06.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०ब०जट-२९/२०१९-९०/आ० व०प० दिनांक 27.09.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 358.910 (तीन करोड़ अन्तावन लाख एकानबे हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	254.951
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	103.959
कुल :-		358.910

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं समसमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।


5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हेक्टेएर लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुर्नजनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमण्डलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं,



जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग से उपरोक्त कार्य हेतु स्थल विवरणी अप्राप्त है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग को निदेश दिया जाता है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि का व्यय करेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

12. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक



खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।


19. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

~

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2019—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / मेदिनीनगर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / चतरा / मेदिनीनगर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2019—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चतरा / हजारीबाग / मेदिनीनगर / लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्यारल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेक्टेक्टरोपण अग्रिम कार्य का प्रमणडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमणडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	2019-20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			32477.90	13243.14	45721.04
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमणडल, चतरा	285	92.561	37.743	130.304
2	चतरा उत्तरी वन प्रमणडल	150	48.717	19.865	68.582
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमणडल	150	48.717	19.865	68.582
4	मेदिनीनगर वन प्रमणडल, मेदिनीनगर	100	32.478	13.243	45.721
5	लातेहार वन प्रमणडल, लातेहार	100	32.478	13.243	45.721
योग:-		785	254.951	103.959	358.910

प्रधान मुख्य वन सेक्षनका विकास,
झाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्वरल ऑपरेशन योजना का दर निधारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) :

249.83


कार्य दर प्रति हेठा

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 249.83							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठा	3	749.49	0.00	749.49	
2	कटबेक / कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प इंसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हेठा	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदाचित किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संगृहीत स्थल की विडियोग्राफी / फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रैच धेरान अथवा पत्थर धेरान किया जायेगा (i) ट्रैच धेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, इंसिंग सहित (ii) पत्थर धेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी धेरान	प्रति हेठा औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेठा ट्रैच धेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रैच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हेठा (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेठा	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हेठा रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंटूर ट्रैच — 50, कंटूर सार्डिज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रैच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रैच के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हेठा	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हेठा	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी।
9	वनों की सुरक्षा		2.00	499.66	0.00	499.66	
	योग—		130.00	32477.90	13243.14	45721.04	

क्र. सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	वित्तीय वर्ष 2020-21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (चूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	574.60	640.00	1214.60	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1264.12	0.00	1264.12	
3	दो कोडनी निकौनी	हें	5	1436.50	0.00	1436.50	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हें	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1149.20	0.00	1149.20	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हें 0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2097.29	0.00	2097.29	द्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग—		22.70	6521.71	1140.00	7661.71	
(C)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2411.92	0.00	2411.92	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग—		7.30	2411.92	0.00	2411.92	
(D)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021-22 को आधार मानते हुए						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2773.71	0.00	2773.71	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग—		7.30	2773.71	0.00	2773.71	
	सकल योग —		167.30	44185.24	14383.14	58568.38	

नोट:-

- प्रत्येक बनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
- इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।


 प्रधान मुख्यमन्त्री सरकार, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली “सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हेठले वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं	जीवीपीएस0 को-ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	भौत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
	चतरा	चतरा		असदिया	चतरा-310	N 24° 14'08.02" E 85° 11'59.28"	2, 106, 108, 258, 270, 466	50	
	लावालौग	ईंटखोरी		कट्टुआ	ईंटखोरी-39	N 24° 17'23" E 85° 09'12"	167	50	
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	मधूहड़	पुरेनी	ईंटखोरी-131	N 24° 16'0.99" E 85° 12'9.14"	2234, 2236, 2237, 2235P	45		
	पिरी	सिमरिया	बेंदवा	सिमरिया-201	N 24° 00'12.47" E 85° 10'06.38"	45, 230, 231, 232	40		
	सिमरिया		रोल	सिमरिया-161		2P, 750, 13	50		
	सिमरिया वनरोपण	टपड़वा	कसारी	सिमरिया-108		3P, 4, 5, 208	50		
					गोट :-				285
		कुन्दा	कुन्दा	कुन्दा	प्रतापपुर-145	N 24° 12.385' E 84° 39.595'	278P, 372, 373P	50	
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	प्रतापपुर	प्रतापपुर	लेवडिया	प्रतापपुर-206	N 24° 20.490' E 84° 39.047'	5P, 9P	35	
		साजपुर	कान्हाचट्टी	दारीदारा	चतरा-30	N 24° 17.264' E 84° 05.486'	615P, 679, 680	35	
		प्रतापपुर	प्रतापपुर	केशहा	प्रतापपुर-84	N 24° 17.321' E 84° 32.569'	2P, 3P, 4, 5, 6P, 13P	30	
					योग :-				150
०	हजारीबाग परिवामी वन प्रमंडल								150
					गोग :-				150

क्र० सं०	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ सं०	जी०पी०एस० को-ऑफिनेट	प्लॉट नंबर	झेत्रफल (हेक्टेक्ट)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
4	मेदनीनगर वन प्रमङ्गल, मेदनीनगर	पाटन	पाटन	सोनपुरवा	पाटन-299	N 24° 12'55.3" E 84° 01'44.2"	N 24° 06'17" E 84° 25'45"	1, 79, 8, 36, 62 2057	50 50
		मनातू	तरहसी	क्रमार	मनातू-495				
					योग :-				100
5	लातेहार वन प्रमङ्गल, लातेहार	लातेहार	लातेहार	सोहदाग	बालुमाथ-130	N 23° 50'45.53" E 84° 34'04.37"	552, 553		50
		लातेहार	लातेहार	कैमा	बालुमाथ-151	N 23° 49'56.70" E 84° 32'50.36"	1, 2, 3P		50
					योग :-				100
		सकल योग							785

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञानरखण्ड, रोंची



आवंटन आदेश


झारखण्ड सरकार


यात्रा दिनीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नानित दशाएं गए बजट शीर्ष के सामने अकित राशि आवंटित की जाती है।


पत्र संख्या - 01/YB-22/2019/1009

दिनांक -

23-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68925	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	9,256,100.00 रुपये बयानवे लाख छप्त हजार एक सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68926	CTRFOR002 NAresh CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	4,871,700.00 रुपये अडतार्लास लाख इकहल्तर हजार मात्र सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68927	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	4,871,700.00 रुपये अडतार्लास लाख इकहल्तर हजार मात्र सौ
योग:				18,999,500.00
क्रमिक योग: रुपये एक करोड नवार्सी लाख निन्नानवे हजार पाँच सौ				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF DEV JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंगळण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68928	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	3,247,800.00 रुपये वर्तीमास लाख सेतालीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंगळण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68929	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	3,241,400.00 रुपये वर्तीमास लाख इकलालीस हजार चार सौ
6	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंगळण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर आपरेशन 01 - वेनन एवं भने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	68930	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	6,400.00 रुपये छ हजार चार सौ
योग: 6,495,600.00				
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड चाँपन लाख पिंचानवे हजार एक सौ			25,495,100.00
			 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)	
		PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामगी	68931	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,774,300.00
	State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामगी	68932	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	1,986,500.00
	State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी नथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं मामगी	68933	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV.HZB	1,986,500.00
	State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
	योगः			7,747,300.00
	क्रमिक योगः	रुपये तीन करोड बत्तीस लाख बयालीस हजार चार सौ		33,242,400.00
		 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF DEV JHARKHAND RANCHI		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101400323	68934	PLMFOR070	1,324,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAHUL KUMAR IFS	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	101 - वन मंग्रण, विकास तथा संरोपण		D.F.O.MEDININAGAR.	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	40 - सिल्विकल्चर ओपरेशन		OREST.DIV.	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं मामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		
11	S 19 240601101400323	68935	LTRFOR001	1,324,300.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		VED PRAKASH KAMBOJ	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	101 - वन मंग्रण, विकास तथा संरोपण		DFO FOREST DIV	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	40 - सिल्विकल्चर ओपरेशन		LATEHAR	रुपये तेरह लाख चौहास हजार तीन
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं मामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)		
	Central Scheme :	NA		

योग:

2,648,600.00

क्रमिक योग:

35,891,000.00

रुपये तीन करोड़ अष्टावन लाख इनकानवे हजार

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI